संलग्नक-4

प्रेषक,

श्री दया शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: जीआई-159/14-2-95-503/1961.

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0लखनऊ।

पत्र अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 1996.

विषय:- जनपद-सोनभद्र में मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे0 वनभूमि का 25 वर्षों हेतु लीज का नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 1252/14-बी-503/61, दिनांक: 25-4-1964 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल उक्त प्रयोजन हेतु 3.79 हे0 वनभूमि के लीज के नवीनीकरण की निम्न शर्तों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या: 8बी/09/324/92/एफ0सी0-सी0-407, दिनांक: 23-5-1995 (फोटो प्रति संलग्न) में उल्लिखित सभी शर्तों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1।-उक्त संस्था भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

2।-संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा उक्त संस्था पर बाध्यकारी होगा, संस्था द्वारा देय होगा।

3।-उक्त भूमि संस्था के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि संस्था को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि संस्था को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो संस्था के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

4।-वन विभाग तथा उसके अधिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5।-कथित भूमि लीज के नवीनीकरण के बाद भी आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी तथा उसके वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

.....2/-

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)

(11)

16।-याचक इकाई के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं भूमि हस्तान्तरण से पूर्व चिन्हित गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करना होगा।

17।-वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए उक्त संस्था ईंधन की लकड़ी नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

18।-वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण यदि कोई हो, तो उ0प्र0वननिगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश संस्था को खड़े वृक्ष सौंपे जाते है, तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उक्त संस्था से प्राप्त किया जायेगा।

19।-वनभूमि हस्तान्तरण के पूर्व भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी, सोनभद्र से निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेन्ट वन विभाग द्वारा वसूल कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक:14-8-95 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:ई-8-1383/दस-1995, दिनांक:25-9-95 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

दया शंकर।
अनु सचिव।

संख्या:जीआई-159।।।/14-2-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य वन संरक्षक केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, बी-।/72, सेक्टर-"के", अलीगंज, लखनऊ।
2- महालेखाकार। द्वितीय। उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र।
5- अध्यक्ष, मै0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रेणुकूट, सोनभद्र।
6- वित्त। व्यय-नियन्त्रण। अनुभाग-8, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

दया शंकर।
अनु सचिव।

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)